UPAD010025582026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज।
पीठासीन अधिकारीः सत्य प्रकाश त्रिपाठी, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
(J.O. CODE-UP5687)
<u>प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 913/2026</u>

शिव बाबू पुत्र सुल्तान पटेल, निवासी–ग्राम बड़गोहना खुर्द, थाना–कौंधियारा, जनपद प्रयागराज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक

अपराध संख्या–19/2026
धारा–85, 115(2), 352, 108
भारतीय न्याय संहिता
थाना–कौंधियारा, प्रयागराज।

<u>जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण</u>

<u>दिनांकः 12.03.2026</u>:–

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **शिवबाबू** के तरफ से, अपराध संख्या–19/2026, धारा–85, 115(2), 352, 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना–कौंधियारा, जनपद प्रयागराज, के केस में जमानत पर छोड़े जाने की याचना के साथ उसके अधिवक्ता के द्वारा दिया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र में किये कथनों के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त के चचेरे भाई/पैरोकार मोतीलाल के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विपक्षी, राज्य की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को भी सुना गया।

3. जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय के अभिकथन किए गए हैं कि अभियोजन कथानक पूर्णतया मनगढन्त, काल्पनिक व झूठा है। घटना के दिन प्रार्थी अपने घर से करीब 60 किलोमीटर दूर अपनी बहन के घर ग्राम निवईया खिचड़ी पहुँचाने गया था। उसी समय वादी की पत्नी का फोन आया कि प्रार्थी की पत्नी सोनम और उसके भाई वादी मुकदमा रामगणेश से कुछ कहासुनी हो गयी है, आकर इसको अपने घर लिवा जाओ। प्रार्थी अपने घर से दूर होने के कारण अपने छोटे भाई अंकित को फोन कर मृतका को घर लिवा आने को कहा। मृतका ने प्रार्थी व परिवार के सदस्यों से बताया कि वादी, मृतका के पूर्व पति की दुर्घटना में मिले मुआवजे की मॉग कर रहा था, जिसे मृतका ने देने से इन्कार कर दिया और वादी ने कहा कि आज से अपने भाई से रिश्ता समाप्त समझो। दुर्भाग्यवश उसी रात कुएं में गिरने से मृतका की मृत्यु हो गयी। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही निरस्त किया गया है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य तर्क यह दिए गए कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मृतका के पूर्व पति से पैदा हुई बेटी वर्तमान में प्रार्थी के घर पर ही है, जिसके परवरिश की जिम्मेदारी प्रार्थी की है। उसे रंजिशन झूठा फॅसाया गया है। वह दिनांक 16.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की ओर जमानत का घोर विरोध करते हुये मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किए गए

कि प्रार्थी/अभियुक्त मृतका के पूर्व पति के दुर्घटना में मिले क्लेम धनराशि रु0 दस लाख, मृतका के खाते में थी, जिसे हड़पने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त प्रयासरत रहता था तथा उसे उकसाने में प्रार्थी/अभियुक्त की मुख्य भूमिका थी। केस गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा रामगनेश के द्वारा दिनांक 16.01.2026 को समय 13.42 बजे थाना कौंधियारा, प्रयागराज पर जाकर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर देकर नामजद अभियुक्त लक्ष्मण पटेल एवं शिवबाबू के विरुद्ध इस आशय के अभिकथनों के साथ दर्ज करायी गयी कि वादी के बहन सोनम पटेल की शादी वर्ष 2018 में शिवबाबू के बड़े भाई के साथ हुई थी, किन्तु लगभग 03 वर्ष पहले शिवबाबू के बड़े भाई की मृत्यु दुर्घटना में हो गयी थी, जिसके एक साल बाद उसने अपने बहन की दोबारा शादी उसके देवर शिवबाबू से रजामंदी से कर दिया। दोनों से एक बेटी 06 माह की सृष्टि थी। पहले पति की दुर्घटना का मुआवजा रु0 दस लाख वादी की बहन को मिला था। शिवबाबू उस पैसे को एवं ससुराल द्वारा अतिरिक्त पैसा मांगने व प्राप्त करने के लिए लगातार मारपीट, गालीगलौज व मानसिक प्रताड़ना करता रहा और आत्महत्या के लिए उकसाता रहा। इस पूरे कृत्य में शिवबाबू का बहनोई लक्ष्मण पटेल भी शामिल रहता था। दिनांक 16.01.2026 को सुबह वादी की बहन व उसकी भांजी का शव ससुराल के पास कुएं में उतराता मिला, जिसके बाद वादी लोगों को जानकारी मिली तो वादी लोग मौके पर पहुॅचे। उक्त लोगों के प्रताड़ना से वादी की बहन ने आत्महत्या कर लिया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट व थाने से प्राप्त आख्या आदि का परिशीलन कर लिया गया है। प्रस्तुत केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, जिसमें मृतका की मृत्यु उसके कुएं के पाने में डूबने से होना अभिकथित है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में Asphyxia due to antemortem drowning probable शब्दावली अंकित है। उसके शव पर चोट का कोई अन्य निशान नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का दूसरा पति बताया गया है, जो घटना के एक दिन पूर्व उसके मायके जाकर उसे विदा कराकर अपने ससुराल लाया था। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। सहअभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। समस्त तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित एवं विधिपूर्ण है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **शिवबाबू** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा रु0 50,000/–(पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जायः–

(i) वह विचारण के दौरान बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

(ii) वह जमानत पर रहने के दौरान कभी किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा,

(iii) वह विचारण के दौरान साक्षियों को धमकी, लालच या किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा और न ही विचारण में बाधा उत्पन्न करेगा तथा न्यायालय में विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दिनॉकः 12.03.2026

A.K.S.

(सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश
प्रयागराज।